हिन्दी शब्द की व्युत्पति एवं देवनागरी

डा. नरेश मोहन
हिन्दी विभाग,
बी.एच.ई.एल., हरिद्वार।

'हिन्द' शब्द 'सिन्धु' का प्रतिरूप है, ईरान में भारत-भूमि के लिए एक शब्द था- 'सिन्धु' जो सिन्धु नदी के लिए प्रयुक्त होता था, धीरे-धीरे यही शब्द सिन्धु नदी के आस-पास की भूमि के लिए भी प्रयुक्त होने लगा, चूंक संस्कृत 'स' का अवेस्ता में 'ह' रूप में उच्चारण किया जाता है इसलिए यह सिन्धु शब्द हिन्दु रूप में उच्चारित किया गया। संस्कृत 'स' के अवेस्ता में 'ह' होने के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं जैसे संस्कृत में सप्त, अवेस्ता में हफ्त, संस्कृत में असुर, अवेस्ता में अहुर आदि। परिवर्तन के प्रथम चरण में 'सिन्धु' का विकास 'हिन्धु' में तथा द्वितीय चरण में ' हिन्धु' का विकास 'हिन्दु' में हुआ क्योंकि अवेस्ता में महाप्राण ध्वनियां नहीं होती और 'ध' महाप्राण ध्वनि है, इस प्रकार हिन्धु शब्द का निर्माण हुआ। कालान्तर में हिन्दु शब्द के इ स्वर बलाघात होने से अन्त स्वर 'उ' लुप्त हो गया। अतः विकास के तीसरे चरण में इसका रूप हिन्द बन गया। फिर हिन्द में ईक् प्रत्यय जुड़ने से हिन्दीक शब्द का निर्माण हुआ और अन्तिम 'क' के लोप हो जाने से हिन्दी शेष रह गया जिसका अर्थ था हिन्द का अर्थात भारतीय।

हिन्दी शब्द के विभिन्न अर्थ

जैसा कि ऊपर संकेतित किया जा चुका है कि हिन्दी शब्द का अर्थ था- 'हिन्द अर्थात भारतवर्ष का निवासी'। उर्दू के प्रसिद्ध शायर इकबाल ने भी हिन्दी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है - "हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्ताँ हमारा।" अमीर खुसरो के समय में हिन्दी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया जाता था। खुसरों द्वारा 'हिन्दी और हिन्दू' में अन्तर किया गया है- बादशाह ने हिन्दुओं को तो हाथी से कुचलवा डाला, किन्तु मुसलमान जो हिन्दी थे, सुरक्षित रहे।

इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि पहले भारतीय मुसलमानों को हिन्दी कहा जाता था फिर उनकी भाषा को हिन्दी कहा जाने लगा, इस प्रकार भाषा के अर्थ में हिन्दी का प्रयोग होने लगा। यों ईरान आदि देशों में भी भारतीय भाषाओं के लिए 'जबाने हिन्दी' शब्द का प्रयोग होता था।

भारत में भाषा के अर्थ में हिन्दी शब्द का प्रयोग मुसलमानों की ही देन है, क्योंकि संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य में हिन्दी शब्द का प्रयोग देखने को नहीं मिलता। भारत

में तो इसके लिए भाषा या भाखा शब्द का प्रयोग मिलता है, कहीं-कहीं भाषा शब्द का प्रयोग प्राकृत तथा उसकी परवर्ती अपभ्रंश तथा हिन्दी के लिए किया गया है।

इस प्रकार यदि देखें तो हिन्दी शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम मुसलमानों ने किया। उन्होंने प्रारम्भ में इसे 'जबाने हिन्दी' कहा और बाद में वह 'हिन्दी' ही रह गया। तेरहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक यह शब्द सामान्य अर्थ का द्योतक था, जिसके कारण हिन्दी एक बड़े भू-भाग की भाषा बन गयी। जिसके पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर-पश्चिम में अम्बाला, उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी छोर के पहाड़ी प्रदेश, पूर्व में भागलपुर, दक्षिण पूर्व में रायपुर तथा दक्षिण पश्चिम में खण्डवा है। यह भाषा इस विस्तृत क्षेत्र के निवासियों के विचार विनिमय का माध्यम थी।

डा. श्याम सुन्दर दास ने इस प्रचलित (हिन्दी भाषा) शब्द के अन्तर्गत बिहारी (भोजपुरी, मगधी, मैथली), राजस्थानी (मेवाती, मारवाड़ी), पूर्वी हिन्दी (अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी), पहाड़ी आदि को इसकी विभाषाएं माना है। कतिपय विद्वान हिन्दी के दो भाग मानते हैं- 'पश्चिमी हिन्दी और पूर्वी हिन्दी' जार्ज ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी तथा बाबू श्याम सुन्दर आदि कुछ विद्वान, पश्चिमी हिन्दी का ही शास्त्रीय रूप में हिन्दी मानते हैं और ब्रज, कन्नौजी, बुन्देली, बांगरू और खड़ी बोली को ही हिन्दी की बोलियां और विभाषएं मानते हैं। उनके अनुसार पश्चिमी हिन्दी और पूर्वी हिन्दी दोनों रूपों का विकास पृथक-पृथक स्रोतों से हुआ है। पश्चिमी हिन्दी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से और पूर्वी हिन्दी का विकास अर्द्धमागधी से हुआ है। परन्तु इसके विपरीत कुछ विद्वानों की मान्यता है कि हिन्दी के 'पूर्वी हिन्दी और पश्चिमी हिन्दी' दोनों ही रूप 'हिन्दी' के वाचक हैं। वर्तमान समय में हिन्दी शब्द का प्रयोग उत्तरी भारत के विस्तृत भूभाग में बोली जाने वाली परिनिष्ठित भाषा के रूप में होता है। भाषा का यह रूप राष्ट्रभाषा का परिचायक है। विस्तृत अर्थ में हिन्दी शब्द का अर्थ यदि ग्रहण किया जाये तो हिन्द की भाषा के रूप में इसका क्षेत्र 'हिन्दुस्तान' होगा जिसमें किसी समय भारत और पाकिस्तान दोनों ही सम्मिलित थे। सीमित अर्थ में इसका क्षेत्र दिल्ली, आगरा, मेरठ के आस-पास का क्षेत्र सम्मिलित होता है। सामान्य रूप से पश्चिमी एवं पूर्वी हिन्दी के सम्मिलित क्षेत्र को हिन्दी का क्षेत्र माना जाता है।

हिन्दी के विभिन्न नाम

हिन्दी भाषा के ऐतिहासिक विकास क्रम पर दृष्टि निपात करने से ज्ञात होता है कि उसके लिए अनेक नामों का प्रचलन रहा है। जैसे हिन्दुई, हिन्दवी, दक्खिनी, उर्दू, रेख्ता, हिन्दुस्तानी तथा हिन्दुस्थानी आदि।

हिन्दुई या हिन्दवी

हिन्दी को यह नाम मुसलमानों द्वारा दिया गया। खुसरो ने 'खालिकबारी' में हिन्दी और हिन्दुई शब्दों का प्रयोग किया है। डा. सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार 'हिन्दवी' या प्रथम यवन राज्य की स्थापना के बाद पश्चिमी हिन्दी की बोलियों से विकसित तथा प्रथम भारतीय मुसलमानों की भाषा से प्रभावित एक अदृष्ट रूप से निर्मित भाषा है। डा. भोला नाथ तिवारी मानते हैं कि हिन्दवी वह भाषा थी, जो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित थी और मध्य देश में सहज रूप से प्रयुक्त हो रही थी। आगे चलकर इसी भाषा को जबाने उर्दू कहा गया। पं. चन्द्रबली पाण्डेय ने इसे दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्र में व्यवहृत होने वाली शिक्षित हिन्दु और मुसलमानों की भाषा माना है। मुंशी इन्शा अल्ला खां ने 'रानी केतकी की कहानी' इसी हिन्दवी भाषा में लिखी है। अपनी रचना के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है एक दिन बैठे-बैठे यह बात ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिन्दवी छोड और किसी का पुट न मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। बाहर की बोली और गंवारी कुछ उसके बीच में न हो ...... हिन्दवीपन भी न निकले और भाषापन भी न हो, बस जैसे भले लोग अच्छे से अच्छे आपस में बोलते चालते हैं ज्यों का त्यों वही सब डौल रहे और छांव किसी की न हो। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि हिन्दवी न तो संस्कृत गर्भित भाषा है और न अरबी-फारसी या देशज शब्दावली से युक्त है अर्थात वह शिष्ट और हिन्दुओं के घर की बोलचाल की भाषा है।

दक्खिनी

मूलतः यह हन्दी का रूप है, दकनी, दखनी, दक्खिनी, दक्खिनी उर्दू आदि शब्द भी इसी अर्थ के वाचक हैं। इसका प्रयोग दक्षिण के मुसलमानों की बोली के लिए किया जाता था। तेरहवीं शताब्दी में जब मुसलमानी राज्य का विस्तार दक्षिण में हुआ तो वह अपने साथ दिल्ली के आस-पास की भाषा भी ले गये और उसे कामकाज की भाषा बनाया। इसी को 'दक्खिनी' कहा गया। यह भाषा प्रमुख रूप से बीजापुर, गोलकुण्डा, अहमदनगर, बरार, बम्बई, मध्य प्रदेश में प्रचलित है। ग्रियर्सन ने इसे हिन्दुस्तानी भाषा का ही विकृत रूप माना है। चटर्जी इसे हिन्दुस्तानी की सहोदरा भाषा मानते हैं। परन्तु यह भाषा प्राचीन खड़ी बोली का ही पूर्व रूप है जिसमें हरियाणवी, मेवाती, पंजाब, ब्रज और अवधी के शब्दों का मिश्रण है साथ ही इस पर दक्षिण की भाषाओं का भी प्रभाव है। अठारहवीं शताब्दी तक इसे बहमनी राज्य का आश्रय मिला। इसमें गद्य और पद्य में पर्याप्त साहित्य की रचना हुई दक्खिनी के अधिकांश लेखक मुसलमान हैं जिनमें कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं- ख्वाजा बन्दा नवाज, निजामी, शेख सरफुद्दीन, सुलतान मुहम्मद, कुली शाह, गुलाम अली, मुल्ला ब्रजही, बेलूरी आदि। दक्खिनी हिन्दी से ही उर्दू का जन्म हुआ। हिन्दी के निकट होने के कारण इसमें भारतीय भाषाओं के शब्दों का पर्याप्त मिश्रण है तथा अरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग अपेक्षाकृत कम है।

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की

रेख्ता तथा रेख्ती

किसी समय में यह व्यावहारिक हिन्दी की परिष्कृत शैली थी जिसमें अरबी, फारसी के शब्दों की अधिकता थी और मुसलमान इसमें शायरी करते थे। कुछ विद्वान रेख्ता और उर्दू को एक ही मानते हैं। डा. धीरेन्द्र वर्मा के शब्दों में फारसी शब्दों के अधिक मिश्रण के कारण कविता में प्रयुक्त उर्दू को रेख्ता (मिश्रित) कहते हैं। स्त्रियों की भाषा रेख्ती कहलाती है। कुछ विद्वानों का मत है कि रेख्ता उर्दू से पहले भाषा के रूप में अस्तित्व में आ चुकी थी। इस मत के समर्थकों के अनुसार रेख्ता शब्द की व्युत्पति फारसी के रेख्तन शब्द से हुई है जिसका अर्थ है- आविष्कार करना, किसी वस्तु को ढ़ालना या उपयुक्त बनाना। कालान्तर में इस शब्द का प्रयोग गीत काव्य के लिए होने लगा और इसे मिश्रित भाषा के रूप में जाना गया। मुंशी दुर्गा प्रसाद ने रेख्ता को निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट किया है:- इस जबान को रेख्ता कहते हैं, क्योंकि मुख्तलिब जबानों ने इसे रेख्ता किया, जैसे दीवार की ईंट, मिट्टी का चूना, सफेदी बराबर पुख्ता करते हैं, रेख्ता के मायने हैं गिरी पड़ी या परेशान चीज, क्योंकि इसमें अल्फाज परेशान जमा हैं, इसलिए इसे रेख्ता कहते हैं।

रेख्ता के प्रसिद्ध कवि वली हैं, जिन्होंने सन् 1723 के बाद एक नई कविता शैली का विकास किया जिसे 'रेख्ता शैली' के रूप में जाना गया। वली से पूर्व व बारहवी-तेरहवीं शताब्दी में बाबा फरीदी के पद्य भी रेख्ता शैली में उपलब्ध होते हैं, रेख्ता और रेख्ती में इतना ही अन्तर है कि रेख्ता पुरूषों की और रेख्ती स्त्रियों की भाषा मानी गई है।

उर्दु

उर्दु तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है पड़ाव या खेमा। बाबर के समय में इस शब्द का प्रयोग 'शाही पड़ाव' के अर्थ में होता था। मुगलों के शासन काल में दिल्ली का राजभवन 'उर्दू-ए-मुअल्ला' अर्थात महान शिविर कहलाता था। मुगल काल में 'उर्दू-ए-आलिया' और उर्दू-ए-लश्कर शब्द भी प्राप्त होते हैं। इन शब्दों का प्रयोग 'छावनी' अथवा 'राज शिविर' के अर्थ में होता था। छावनी के बाजार 'उर्दू बाजार' कहलाते थे। इन बाजारों में क्रय-विक्रय की सुविधा के लिए जिस भाषा का जन्म हुआ वह आगे चलकर उर्दू के नाम से विख्यात हुई। प्रारम्भ में अरबी-फारसी और खड़ी बोली के मिले-जुले शब्दों की अधिकता के कारण इसे बाजारू भाषा माना जाता था। परन्तु बाद में मुसलमान शासकों के प्रश्रय से यह साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित हुई।

उर्दू की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों में परस्पर मतभेद हैं, कुछ इसे ब्रजभाषा से उत्पन्न मानते हैं तो कुछ खड़ी बोली से विकसित मानते हैं। मीर अमान आदि विद्वानों ने इसे बाजारी और लश्करी भाषा के रूप में स्वीकारा है। टी. ग्राहम और वली आदि इसका जन्म दिल्ली के आस-पास की बोली के सम्मिश्रण से हुआ मानते हैं। ब्रजमोहन दत्तात्रेय जैसे विद्वानों की मान्यता है कि शैरसनी प्राकृत में विदेशी शब्दों के मिल जाने से उर्दू का जन्म

हुआ है। उर्दू के जन्म के सम्बन्ध में मतान्तर होने पर भी यह निर्विवाद सत्य है कि उर्दू, हिन्दी की एक शैली है। पं. चन्द्रवली पाण्डेय ने इस भ्रम का निराकरण भी भली भांति कर दिया है, जिन्होंने इस बात को प्रचारित किया था कि उर्दू हिन्दी से प्राचीन भाषा है।

उर्दू शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सबसे पहले मसहफी ने किया था, मसहफी की मृत्यु सन् 1824 में हुई, जिससे सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भाषा के अर्थ में उर्दू शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी में हुआ। सर सैय्यद अहमद खां ने भाषा के अर्थ में उर्दू का प्रयोग शाहजहां के समय से माना है। उर्दू, शायरी की भाषा के रूप में पर्याप्त विख्यात हुई है, इसमें गद्य का लेखन सन् 1800 के आसपास प्रारम्भ हुआ। अम्मन की बागों बहार उर्दू की प्रारम्भिक रचनाओं में अत्यन्त प्रसिद्ध है। मीर, दाग, जौक, गालिब, इकबाल आदि इसके अमर कवि हैं। औरंगाबाद के प्रसिद्ध कवि वली को उर्दू का प्रथम कवि माना जाता है। बाद में दिल्ली और लखनऊ के दरबारी कवियों ने उर्दू में काव्य रचना आरम्भ की। फारसी लिपि में लिखे जाने के कारण पहले उर्दू को हिन्दी से अलग माना जाता था। उत्तर भारत में मुसलमानों के अतिरिक्त काश्मीरी, पंजाबी तथा कायस्थों की यह मुख्य भाषा रही है। आजकल नागरी लिपि में लिखे जाने के कारण यह हिन्दी प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का विषय बनी है। संकीर्ण राजनीति ने इसे आपसी फूट और संघर्ष का कारण भी बनाया है परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि इस भाषा की मिठास और उत्कृष्ट शैली हिन्दू तथा मुसलमान दोनों को ही मोहित करती है और उर्दू लेखकों में हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही सम्प्रदाय के लोग हैं।

हिन्दुस्तानी

भाषा के अर्थ में 'हिन्दुस्तानी' का सबसे पहले प्रयोग बाबर ने अपने 'बाबरनामा' में किया है। यूरोप के लोगों ने भी हिन्दी के लिए हिन्दुस्तानी शब्द का प्रयोग किया। गिल क्राइस्ट ने 'हिन्दुस्तानी' को भारत की प्रधान भाषा माना है। उनके अनुसार हिन्दी, अरबी और फारसी के मिश्रण से बनी भाषा 'हिन्दुस्तानी' है। व्यवहार में यूरोप के लोग उर्दू को ही हिन्दुस्तानी मानते थे। ग्राड्स के मतानुसार हिन्दुस्तानी मुख्य रूप से गंगा के ऊपरी दोआब की भाषा है। यह हिन्दुस्तान के अन्तर प्रादेशिक व्यवहार का माध्यम है। यह फारसी या देवनागरी दोनों ही लिपियों में लिखी जा सकती है। इसमें फारसी शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है। डा. धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार-प्रारम्भ से यह शब्द उर्दू का पर्यायवाची था किन्तु इधर कुछ दिनों से उर्दू का बोलबाला रूप हिन्दुस्तानी कहलाता है। उत्पत्ति की दृष्टि से आधुनिक साहित्यिक हिन्दी तथा उर्दू के समान ही इसका आधार भी खड़ी बोली है। एक तरह से यह हिन्दी उर्दू की अपेक्षा खड़ी बोली के अधिक निकट है।

सामान्य जनता अपने दैनिक व्यवहार में इसी भाषा का प्रयोग करती है। हिन्दी-उर्दू के संघर्ष को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने 'हिन्दुस्तानी' के प्रयोग पर बल दिया था। उनका मंतव्य हिन्दू-उर्दू को मिलाकर भाषा के एक नये रूप को अपनाने से था। कुछ

लोगों ने हिन्दुस्तानी को साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित करने का प्रयास किया। हरिऔद्य की 'ठेठ हिन्दी का टाठ', आदि रचनाएं इसी भाषा की हैं। सर जार्ज ग्रियसन ने इसे वर्नाक्यूलर हिन्दुस्तानी नाम दिया था। परन्तु इस भाषा का प्रयोग राजकाज में स्वीकृत न हो सका और साम्प्रदायिक मनोवृति के कारण हिन्दुस्तानी न तो हिन्दुओं द्वारा अपनायी जा सकी और न मुसलमानों ने इसे अपनाया।

हिन्दुस्थानी

डा. सुनीति कुमार चटर्जी ने उत्तरी भारत की बोलचाल की भाषा 'हिन्दुस्तानी' से पृथक करके समस्त भारवर्ष की भाषा को हिन्दुस्थानी का नाम दिया। डा. गुणानन्द जुयाल के मतानुसार कलकत्ता में उत्तर प्रदेश के निवासियों को हिन्दुस्थानी कहा जाता है और उनकी बोलचाल की भाषा को जो हिन्दी है, हिन्दुस्थानी कहते हैं।

हिन्दी शब्द के आधुनिक अर्थ में प्रयुक्त होने का इतिहास विचित्र है। आधुनिक अर्थ में हिन्दी के व्यापक प्रयोग का श्रेय मूलतः अंग्रेजों को है। सन् 1900 ई. में कलकत्ते में फोर्ट विलियम्स कालेज की स्थापना हुई, वहां गिल क्राइस्ट हिन्दी या हिन्दुस्थानी के अध्यापक नियुक्त हुए। उनकी हिन्दी कठिन उर्दू थी, वे सन् 1904 तक अध्यापक रहे, अतः उर्दू भाषा ही हिन्दी कही जाती रही, किन्तु वहां के कर्मचारियों का ध्यान इस ओर गया तथा उन्होंने महसूस किया कि गिल क्राईस्ट द्वारा पढ़ाई जाने वाली मध्य देश की प्रतिनिधि भाषा नहीं थी। परिणामस्वरूप हिन्दुस्तानी शब्द तो अरबी-फारसी शब्दों से युक्त गिल क्राइस्ट की हिन्दी, जो वास्तव में कठिन उर्दू थी, के लिए प्रयुक्त होने लगा तथा हिन्दी शब्द हिन्दुओं में व्यवहृत संस्कृत मिश्रित भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ।

इस नवीन अर्थ में हिन्दी का स्पष्ट रूप से लिखित प्रयोग संभवतः सर्वप्रथम कैप्टन टेलर ने किया, कालेज में हिन्दी-उर्दू का यह अलगाव बढ़ता ही गया। सन् 1824 में उक्त कालेज के हिन्दी प्रोफेसर विलियम प्राईस ने स्पष्ट शब्दों में हिन्दी के लगभग सभी शब्दों के संस्कृत होने की बात कही तथा हिन्दुस्तानी के शब्दों के अरबी-फारसी होने की। सन् 1825 में कालेज के वार्षिक समारोह में लार्ड ऐमहर्स्ट ने हिन्दी भाषा को हिन्दुओं से सम्बद्ध कहा तथा उर्दू को उनके लिए उतनी ही विदेशी स्वीकार किया जितनी कि अंग्रेजी।

इस प्रकार अंग्रेजों ने चाहे जिस कारण से भी किया हो, 19वीं शताब्दी के प्रथम 25 वर्षों में एक ओर हिन्दुवी या हिन्दी देवनागरी संस्कृत-हिन्दू शब्दों को जोड़ दिया तो दूसरी ओर हिन्दुस्तानी रेख्ता या उर्दू-फारसी लिपि अरबी-फारसी-मुसलमान शब्दों को। सम्भवतः राज्य के निर्देश पर ही सन् 1902 में हिन्दी-उर्दू का प्रश्न शिक्षा-संयोजकों के समक्ष आया और हिन्दी के अर्थ में निश्चित रूप में स्वीकृत हुई।

संसार की विकसित भाषाओं के अध्ययन अनुशीलन से ज्ञात होता है कि उनमें अन्य भाषाओं की शब्दावली का मिश्रण हो गया है। संसार की कोई भाषा ऐसी नहीं है, जिसमें किसी अन्य भाषा के शब्द न हों। आधुनिक युग में तो यह और भी असंभव है क्योंकि आवागमन के साधनों की सुविधा के सहज सुलभ होने के कारण भिन्न-भिन्न देशों के विभिन्न भाषा-भाषी परस्पर मिलते रहते हैं और उनकी भाषाओं के शब्दों का विनिमय होने से एक-दूसरे की भाषा में सहज रूप से समाहित हो जाते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक भाषा अपनी पूर्ववर्ती समसामयिक एवं निकटवर्ती भाषाओं के शब्दों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करती ही हैं, इसी दृष्टि से हिन्दी में भी अपनी पूर्ववती भाषाओं, सहयोगी भाषाओं, बोलियों एवं विदेशी भाषाओं के अनेकानेक शब्द समाहित हो गये हैं। इस प्रकार हिन्दी में निम्नलिखित प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं-

1- भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द
2- भारतीय आनार्य भाषाओं के शब्द
3- विदेशी भाषाओं के शब्द

भारतीय आर्य भाषाओं के शब्दः

हिन्दी में भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द सर्वाधिक पाये जाते हैं जो तत्सम, तद्भव, अर्द्धतत्सम, देशज, तत्समाभास, अर्द्ध तद्भव, संकर, अनुकरणात्मक और प्रतिध्वनात्मक आदि प्रकार के हैं।

तत्सम शब्द- जो शब्द संस्कृत भाषा से विशुद्ध रूप में हिन्दी में आये हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे पुत्र, अरूण, अग्नि, सर्वत्र, यत्र, तत्र आदि।

तद्भव शब्द- जिन शब्दों का आगमन हिन्दी में प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं के माध्यम से हुआ है वे तद्भव कहलाते हैं। हिन्दी में इस प्रकार के शब्दों की बहुलता है, जैसे- आग, चांद, पूत, उंगली, अंगूठी, सांप, आज, काज आदि।

अर्द्ध तत्सम शब्द- संस्कृत के जो शब्द प्राकृत भाषाओं में प्रयुक्त होने के कारण विकृत हो गये हैं, उन्हें अर्द्ध तत्सम शब्द कहा जाता है, जैसे अगिनि, दरिद्दर, मित्तर, चरित्तर, किशन, चन्दर, किरपा, आखर आदि।

अर्द्ध तद्भव शब्द- तत्सम और तद्भव के बीच की स्थिति वाले शब्द अर्द्ध तद्भव कहलाते हैं, जैसे- मौसी, मौसा, पोथा आदि।

देशज शब्द- जिन शब्दों की व्युत्पति का कुछ पता नहीं चलता परन्तु वे हिन्दी में बहु प्रचलित हैं, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है, जैसे घिनोंची, घोंचू, तेन्दुआ, ढेंगा, मटक्का, थोथा, घपला आदि।

तत्समाभास- प्रथम दृष्टया जो शब्द तत्सम जैसे लगते हैं परन्तु वे तत्सम होते नहीं और उनका भाषा में प्रचार होने लगता है, वे तत्समाभास कहलाते हैं, जैसे पौर्वात्य, एकादश, राष्ट्रीय, जागृत आदि।

संकर शब्द- कुछ शब्द जो भाषाओं के योग से बन जाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे मैम्बरी, डबल रोटी, पार्लियामेन्ट चुनाव, टीचरी, लाट साहब, पावरोटी, रेलगाडी, दलबन्दी, माध्यमिक स्कूल आदि।

अनुकरणात्मक- जो शब्द किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाये गये हैं, वे अनुकरणात्मक शब्द कहलाते हैं, जैसे कल-कल, चूं-चूं, छल-छल, भड़-भड़, मिमियाना, रिरियाना, खटाखट, चटाचट आदि।

प्रतिध्वन्यात्मक- जिन शब्दों के सादृश्य या सम्बन्ध का बोध कराने के लिए उनकी आंशिक आवृति करा दी जाती है वे शब्द प्रतिध्वन्यात्मक कहलाते हैं, जैसे लोटा-वोटा, चाय-वाय, घोड़ी-बोड़ी, औरत-वौरत, खाना-वाना।

भारतीय अनार्य भाषाओं के शब्द

हिन्दी में द्रविण परिवार या आस्ट्रिक परिवार की भाषाओं के अनेक शब्द प्रचलित हैं, जैसे कज्जक्त, दण्ड, नीर, कुटिल, कुण्डल, कोटर, खल, पिल्ला, इडली, डोसा, सांभर, हांडी आदि। कुछ शब्द मुण्डा परिवार की भाषाओं के प्रभाव से भी आये हैं जैसे दाडिम, नारिकेल, जंघा, हलाहल, गेंदा, कौड़ी, गुड़, कपोल, कपोत, भेक आदि। आग्नेय कुल की भाषाओं के शब्द भी हिन्दी में मिलते हैं, जैसे ताम्बूल, कपास, मिरिच आदि।

विदेशी भाषाओं के शब्द

विगत सात-आठ शताब्दी से विदेशियों के सम्पर्क में आने से हिन्दी में अनेक शब्द विदेशी भाषाओं के समाहित हो गये हैं। इनमें एशियाई तथा योरोपीय भाषाओं के शब्दों की अधिकता है।

एशियाई भाषाओं के शब्द

हिन्दी में एशिया महाद्वीप की अनेक भाषाओं के शब्द समाहित हैं। इनमें उदाहरण स्वरूप कुछ निम्नानुसार हैं-

अरबी-फारसी के शब्द- खुदा, अल्लाह, अदालत, मजहब, दीन, कुरान, पैगम्बर, चपरासी, वकील, दीवानी, मुंशी, पाजामा, कमीज, मोजा, सलवार, जलेबी, बरफी, कलाकन्द, बादाम, अंजीर, नाशपाती, मुनक्का, कस्बा, खत, किताब, मदरसा, मुल्ला, फौज, दर्जी, दरवाजा, जरूर, हमेशा, हफ्ताह, हाकिम, सब्जी, हकीम, बुखार, हरारत, खबरें, लेकिन, साबुन, सूर्या, जुलाहा, जुकाम, दिलेर, इंसान, हकीकत, आखिर, सिपाही, तीर-कमान, परगना आदि।

ईरानी शब्द- मिहिरन, गंज, तीर, तूत, क्षत्रप आदि।

पश्तो शब्द- पठान, रोहिला, अखरोट, मटरगश्ती, अल्लम गल्लम, पटाखा, डेरा, लताड़, लुच्चा, हमजोली, भंडास, अटकल, नगाड़ा, कलूटा, जमाल गोटा, गुण्डा, अचार, तड़ाक आदि।

तुर्की शब्द- तोप, दरोगा, आका, कैंची, काबू, कुली, गलीचा, खां, तमगा, तमंचा, बख्शी, बेग, बेगम, चम्मच, लाश, सौगात, नानखटाई, खच्चर, सराय, चोगा, बुलाक, चेचक, बारूद, नागा, कुर्ता, कूच, बीबी, बाबा, मुचलका आदि।

चीनी शब्द- सिन्दूर, टसर, लीची, चीनी, चाय, कीचक (बांस) आदि।

जापानी शब्द- रिक्शा, जूडो, हाइकू आदि।

यूरोपीय भाषाओं के शब्दः

भारत का सैकड़ों वर्षों तक यूरोप के इंग्लैंड, पुर्तगाल आदि देशों से व्यापारिक और राजनीतिक सम्बन्ध रहा है, जिसके कारण अनेक यूरोपीय भाषा के शब्द जुड़ गये हैं।

पुर्तगाली शब्द- अलमारी, आलपिन, आया, अनन्नास, इस्पात, कनस्तर, कप्तान, कमरा, कर्नल, काफी, काजू, गमला, गिरजा, गोभी, गोदाम, चाभी, तम्बाकू, जंगला, तौलिया, पपीता, परात, नीलाम्र, पिस्तौल, मिस्त्री, बोतल, लबादा, सन्तरा, साया, बिस्कुट, बाल्टी, पीपा, फीता आदि।

फ्रांसीसी शब्द- अंग्रेज, एडवोकेट, जज, कानून, टेबुल, डीलक्स, मास्टर, मार्शल, मशीन, मेम, मेयर, लैम्प, कारतूस, केवल, कप, कॉलर आदि।

अंग्रेजी शब्द- मम्मी, पापा, डैडी, अंकल, हॉस्पिटल, अण्डरवीयर, आपरेशन, इंजन, पैन, कलक्टर, कम्पाउन्डर, डॉक्टर, नर्स, स्कूल, स्टेशन, पोस्टकार्ड, रेडियो, कम्प्यूटर, ट्रैक्टर, रेल, इंजन, मलेरिया, बम, प्लास्टर, मास्टर, प्लेग, शॉप, रिपोर्ट, रन, क्रिकेट, लिपिस्टिक, रीडर, टीचर, प्रोफेसर, फीस, प्रिन्सीपल, फार्म, फार्म-हाउस, टेलीविजन, न्यूज पेपर, रिजल्ट, लालटेन बैंक, लॉकर, वारण्ट, बटन, पाकेट, सीट, रिजर्व, सरकस, सरजन, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, सैनेट्री, शीट, सोडावाटर, चिप्स, पार्लियामेन्ट, लेडी,जेन्टस, हाउस, कोट, पेन्ट, टैस्ट, फ्लैट, फोटो, फर्म, बाथरूम, बैडरूम, हीटर, प्लग, मिलिट्री, मेजर, जनरल, स्टाफ, वाइस चान्सलर, यूनिवर्सिटी आदि।

इटैलियन शब्द- लाटरी, गजट, राकेट, पियानो, आपेरा, कारटून, स्टूडियो, वायलिन आदि।

डच शब्द- तुरूप, बम आदि।

यूनानी शब्द- दाम, दमड़ी, सुरंग, यवन, होण्डा, कस्तूरी आदि।

जर्मन शब्द- डैक, ट्रेन, सैमीनार, बैगन, किण्डर गार्डन आदि।

रूसी शब्द- रूबल, टुण्ड्रा, टेगा, स्पुतनिक, जार आदि।

स्पेनी शब्द- सिगार, सिगरेट, कार्क आदि।

अफ्रीकी शब्द- जेब्रा, चिम्पैंजी आदि।

आस्ट्रेलियाई शब्द- कंगारू आदि।

इस प्रकार यदि देखा जाये तो हिन्दी में अनेक भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होते हैं, और ये शब्द इतने घुलमिल गये हैं कि उनकी पृथक पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल है, एक आकलन के अनुसार अरबी-फारसी के लगभग 6000 शब्द हिन्दी में आये हैं। 3000 शब्द अंग्रेजी से, 70 तुर्की से, 100 पुर्तगाली से, 100 पश्तो शब्द हिन्दी में सम्मिलित हो गये हैं। वैज्ञानिक युग में नवीन आविष्कारों से सम्बन्धित अनेक पारिभाषिक शब्द अनुवाद के पश्चात भी यथावत प्रयोग किये जाते हैं जैसे अपोलो, स्पुतनिक, इन्सैट, मिसाइल, सुपरसॉनिक, जैट, जैग्वार, मिराज, जैनरेटर, राडार आदि शब्द ऐसे ही हैं।

देवनागरी लिपि- विशेषताएं एवं मानकीकरण:

डॉ. भोला नाथ तिवारी ने लिपि की उपयोगिता और उसकी शक्ति का उल्लेख करते हुए लिखा है कि लिपि का कार्य भावों का अंकन है। अपने इस कार्य में जो लिपि

जितनी ही सफल होगी, उसे उतनी ही शक्ति सम्पन्न तथा उपयोगी कहा जायेगा। रज्जु लिपि (भावमूलक लिपि) की अपनी सीमाएं हैं। अतः ध्वनिमूलक लिपि की तुलना में उन्हें उपयोगी नहीं कहा जा सकता। ध्वनिमूलक लिपि में भी वर्णात्मक लिपि (Alphabetical Script) अक्षरात्मक लिपि (Syllabi Script) की तुलना में अधिक वैज्ञानिक तथा उपयोगी है, क्योंकि उसके द्वारा ध्वनियों का अंकन अधिक स्पष्ट तथा वैज्ञानिक ढ़ंग से किया जा सकता है। इस श्रेणी की लिपि केवल रोमन तथा उससे निकली कुछ अन्य लिपियां हैं।

देवनागरी लिपि का संक्षिप्त परिचय

मान्यता है कि प्राचीन नागरी लिपि के पश्चिमी रूप से देवनागरी लिपि विकसित हुई है। नागरी लिपि का समुचित विकास 10वीं शताब्दी से माना जाता है। प्राचीन अभिलेखों की लिखावट के अध्ययन से ज्ञात होता है कि भीमदेव प्रथम (1028 ई.) और भीमदेव द्वितीय (1200 ई.) तथा उदयवर्मन (1200 ई.) के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि वर्तमान हिन्दी के बहुत समीप आ गई है। डा. कपिल देव द्विवेदी के अनुसार- "इस प्रकार वर्तमान देवनागरी लिपि का प्रारम्भ सन् 1000 से 1200 ई. तक मानना उचित है। बाद में आवश्यक संशोधन परिवर्तन होते रहे। 18वीं शती ई. की नागरी लिपि प्रायः नागरी के तुल्य पूर्ण विकसित हो गई थी, केवल कुछ मात्राओं में अन्तर पाया जाता है।"

देवनागरी नामकरण

1- गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा सर्वाधिक प्रयोग होने के कारण इसका नाम 'नागरी' पड़ा।

2- कुछ विद्वान बौद्ध-ग्रंथ 'ललित विस्तार' में उल्लेखित नाग लिपि से इसका सम्बन्ध स्थापित करते हैं, परन्तु डा. बार्नेट का मत है कि नाग लिपि एवं नागरी लिपि दोनों सर्वथा भिन्न लिपियां हैं।

3- कुछ विद्वानों के अनुसार प्रमुख रूप से नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा।

4- आर.एम. शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के निर्माण से पूर्व यहां पर उनकी उपासना सांकेतिक चिह्नों के द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के बीच में अंकित किये जाते थे। इन यंत्रों को 'देवनगर' और उन चिह्नों को 'देवनागर' कहा जाता था, उन चिह्नों (देवनागर) से ही इसका विकास होने के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा।

5- देवनगर अर्थात काशी में प्रचार के कारण यह 'देवनागरी' कहलायी।

6- एक मत यह भी है कि पाटिलपुत्र को पहले नागर और चन्द्रगुप्त द्वितीय को 'देव' कहा जाता था, उन्हीं के नाम पर इस लिपि को देवनागरी नाम दिया गया।

7- डा. धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य-युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम 'नागर' था, जिसमें चौकोर आकृतियां होती थी इधर नागरी लिपि के अधिकांश अक्षर भी चौकोर होते हैं। इसी आधार पर इसे नागरी या सम्मान देने के लिए देवनागरी कहा गया।

डा. द्वारिका प्रसाद सक्सेना की मान्यता है कि जिस तरह श्रेष्ठ वाङ्.मय वाली भाषा संस्कृत को परिष्कृत एवं परिमार्जित होने के कारण 'देववाणी' कहा जाता है, उसी तरह संस्कृत वाङ्.मय को लिपिबद्ध करने के कारण इस परिष्कृत एवं परिमार्जित नागरी लिपि को 'देवनागरी' नाम दिया गया है।

देवनागरी लिपि का विकास

डा. द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नरेश जयभट्ट (700-800 ई.) के एक शिलालेख में मिलता है। आठवीं शताब्दी में राष्ट्रकूट नरेशों में भी यही लिपि प्रचलित थी और नवीं शताब्दी में बड़ौदा के ध्रुवराज ने भी अपने राज्य देशों में इसी लिपि का प्रयोग किया था। विजय नगर राज्य और कोंकण में भी इसी देवनागरी लिपि का प्रचार था। इसी आधार पर कुछ विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि देवनागरी का विकास सर्वप्रथम दक्षिण में ही हुआ था और वहीं से बाद में यह लिपि उत्तर में प्रचलित हुई। डा. सक्सेना यह भी मानते हैं कि यह लिपि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में प्रचलित रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात आदि प्रान्तों में उपलब्ध शिलालेख, ताम्रपात्र, हस्तलेख, प्राचीन ग्रंथ आदि में देवनागरी लिपि ही अधिक मिलती है। आज भी यह लिपि संपूर्ण हिन्दी प्रदेश के अतिरिक्त भारत के अधिकांश प्रान्तों में प्रयुक्त होती है और हिन्दी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और हिन्दी की सभी बोलियों में इसी लिपि का प्रयोग होता है।

ईसा की आठवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी तक देवनागरी लिपि मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा, मारवाड़ के परिहार राजा, मध्य प्रदेश के हैहयवंशीय राजा, राठौर और कलचुरी नरेश, कन्नौज के गहड़वाल और गुजरात के सोलंकी राजाओं में पर्याप्त मात्रा में प्रचलित रही। आरम्भ में इस लिपि के वर्णों पर शिरोरेखा न थी तथा अ, घ, म, य, ष और स के सिर दो भागों में विभक्त थे। साथ ही दसवीं शताब्दी की देवनागरी लिपि के अनेक वर्ण आधुनिक वर्णों से बहुत पृथक थे। धीरे-धीरे उन्हें सुन्दर बनाने का प्रयास होता रहा और चौदहवीं शताब्दी में आकर इस लिपि के वर्णों का यह रूप स्थिर हो गया जो आजकल मिलता है।

नागरी लिपि के विकास की गाथा बहुत लम्बी है, जिसमें से विशिष्ट महत्व उन प्रभावों का है, जो इस पर पड़े हैं-

1- फारसी प्रभाव के परिणामस्वरूप नुक्ते या बिन्दु का प्रयोग प्रारम्भ हुआ, जिससे जिह्वामूली ध्वनियां क़ ग़ ज़ आदि रूप में लिखी जाती हैं।

2- मराठी के प्रभाव के कारण पूर्व प्रचलित 'प' अब 'अ' रूप ले चुका है। इसी प्रकार 'भ ' के स्थान पर 'झ' मराठी के प्रभाव का ही परिणाम है।

3- कुछ लोग नागरी लिपि को शिरोरेखा के बिना लिखते हैं, यह गुजराती का प्रभाव है।

4- डा. द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार बंगाली लिपि ने भी देवनागरी लिपि को प्रभावित किया है, क्योंकि बंगला लिपि के अधिकांश वर्ण गोल होते थे और देवनागरी लिपि के अधिकांश वर्ण चौकोर होते थे, परन्तु आजकल देवनागरी लिपि के भी अक्षर उतरे चौकोर नहीं रहे, अपितु अधिकांश वर्ण गोल लिखे जाते हैं।

5- अंग्रेजी के प्रभाव की भी चर्चा विद्वानों ने की है, इसके प्रभाव से अल्पविराम (,) अर्द्धविराम (;) प्रश्नवाचक चिह्न (?) विस्मयादिबोधक (!) उद्धरण चिह्न (" ") आदि का विकास तो हुआ ही है साथ ही अंग्रेजी की कतिपय ध्वनियों को अंकित करने के लिए भी प्रयास हुआ है, जैसे कॉलेज (College), डॉक्टर (Doctor), आदि में (o) के लिए ( ) अब तो पूर्ण विराम के लिए भी (.) प्रयोग हो रहा है।

अंकों का विकास

अंकों की उत्पत्ति के बारे में भी कई मत प्रचलित हैं, कुछ विद्वान इनकी उत्पत्ति रेखाओं से मानते हैं, क्योंकि मान्यता है कि कभी रेखाएं खींचकर गणना की जाती थी जो आज भी देखी जा सकती है।

जैसेः I, II, III, IIII, IIIII आदि। सांख्यिकी में आज भी इसका प्रचलन देखने को मिल जाता है। जैसे 5 = IIIII, 10 = IIIIIIIIII आदि।

कुछ विद्वान मानते हैं कि अंकों के सूचक शब्दों के प्रथम अक्षर से ही अंकों का विकास हुआ है:-

द्वौ	के	द्व	से	2
त्रीणि	के	त्र	से	3
चत्वारि	के	च	से	4
पंच	के	प	से	5
षष्ठ	के	ष	से	6
सप्त	के	स	से	7
अष्ट	के	अ	से	8
नव	के	न	से	9

प्राचीन लिपि में शून्य के लिए कोई चिह्न नहीं मिलता, पहले दस, बीस, सौ, हजार आदि के लिए अलग-अलग चिह्न प्रचलित थे, परन्तु नवीन देवनागरी लिपि में शून्य '0' का प्रयोग देखा जा सकता है। ये नवीन अंक चिह्न ईसा की पांचवी शताब्दी से आरम्भ हो गये थे, परन्तु शून्य का विकास बहुत बाद में हुआ।

देवनागरी लिपि की विशेषताएं

देवनागरी पर्याप्त काल से भारतीय आर्य भाषाओं की लिपि रही है और आज भी हिन्दी, मराठी, नेपाली तथा समस्त हिन्दी बोलियों की यही लिपि है। भारत के संविधान में जब से हिन्दी को राजभाषा घोषित किया गया है तभी से देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि का महत्व मिला है।

1- देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजन को अत्यन्त वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध किया गया है, इसमें 14 स्वर और 35 मूल व्यंजन हैं। साथ ही तीन संयुक्त वर्ण भी हैं। इसके कुछ और भी आवश्यक व्यंजनों का समावेश इस लिपि में कर लिया गया है जैसे ड़ तथा ढ़ आदि।

2- यह लिपि अत्यन्त गत्यात्मक एवं व्यावहारिक है। इसलिए इसमें आवश्यकतानुसार अनेक ध्वनि चिह्नों का समावेश होता रहा है। जैसे इसमें जिह्वामूलीय ध्वनियों (क़ ख़ ग़ ज़ फ़) के लिए चिह्न नहीं थे परन्तु बाद में बना लिए गए। इसी प्रकार अन्य चिह्न भी बनाये गये हैं अँ, अ, एँ, ऑ आदि। ऐसा करने से यह लिपि भारत की सभी भाषाओं को लिखने के लिए उपयोगी बन गयी है।

3- यह लिपि वर्णात्मक है और वर्णों के नाम उच्चारण के सर्वथा अनुरूप हैं, जैसे फारसी लिपि में 'जीम तथा दाल' वर्ण हैं जबकि इनका उच्चारण ज और द होता है। रोमन लिपि में एच (H), टी (T), एस (S) का उच्चारण (ह), (ट) व (स) होता है, किन्तु देवनागरी लिपि के वर्णों में ऐसी बात नहीं है, यहां जो वर्ण जैसा है, उसका उच्चारण भी वैसा ही होता है।

4- प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिह्न होना ही लिपि की वैज्ञानिकता का परिचायक है, देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिह्न हैं जबकि अन्य लिपियों में एक ध्वनि के लिए कई-कई चिह्न देखे जाते हैं, जैसे फारसी लिपि में 'स' ध्वनि के लिए 'सीन' व 'स्वाद- आदि का प्रयोग होता है, रोमन में 'क' के लिए c, k, q प्रयोग होते हैं।

5- इस लिपि में 'अ' को छोड़कर शेष सभी स्वरों की ह्रस्व एवं दीर्घ मात्राएं विद्यमान हैं, जिससे व्यंजन के साथ उनका प्रयोग बड़ी सरलता से हो सकता है।

6- इसमें व्यंजनों का संयोग अंकित करने की पद्धति सर्वथा उपयुक्त है।

7- देवनागरी लिपि के वर्ण अत्यन्त कलात्मक, सुन्दर, सुगठित ढ़ंग से लिखे जाते हैं और इस लिपि में लिखित शब्द अपेक्षाकृत स्थान भी कम घेरते हैं, जैसे देवनागरी लिपि में लिखित 'महेश्वर' की अपेक्षा रोमन में Maheshwara.

8- इस लिपि में प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होता है, जबकि संसार की अन्य लिपियां ऐसी भी हैं, जिनमें बहुत से लिखित वर्णों का उच्चारण नहीं किया जाता, जैसे रोमन में Knife (नाइफ) में k का उच्चारण, Psychology में P का उच्चारण।

9- देवनागरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वर्णों के उच्चारण निश्चित हैं और वे प्रत्येक स्थान पर उसी प्रकार उच्चरित किये जाते हैं, जबकि अन्य लिपियों में कोई अक्षर कहीं कुछ बोला जाता है और कहीं कुछ, जैसे देवनागरी में खटपट, सरसर ज्यों के त्यों बोले जाते हैं, जबकि रोमन में But बट तो Put पुट हो जाता है To = टू तो Go = गो हो जाता है।

10- स्वर की ह्रस्वता तथा दीर्घता एक ही आकृति में तनिक सा अन्तर करके दिखाना देवनागरी की सबसे बड़ी विशेषता है। जैसे 'अ' ह्रस्व तथा 'आ' दीर्घ। इसमें 25 व्यंजनों में पहली और तीसरे अल्पप्राण, दूसरे और चौथे महाप्राण तथा पांचवें वर्ण अनुनासिक होते हैं। अंतिम चार व्यंजन य, र, ल, व अन्तस्थ हैं तथा शेष चार श, ष, स, ह ऊष्म वर्ण हैं।

11- देवनागरी लिपि के निर्माण में एक अन्य विशेषता यह भी उल्लेखनीय है कि इसका निर्माण उच्चारण को ध्यान में रखकर किया गया है। जैसे सर्वप्रथम हम कण्ठ से बोलते हैं तो यहां पर भी अ, क, ख, ग, घ, ङ. कण्ठ्य ध्वनियां हैं, इसके उपरांत हमारे वाग्यंत्र में तालु है तो इ, च, छ, ज, झ, ञ तालव्य ध्वनियां हैं तदन्तर मूर्धा आती है तो यहां भी ऋ, ट, ठ, ड, ढ़, ण मूर्धन्य ध्वनियां रखी गई हैं, इसके बाद दन्त आते हैं तो ल, त, थ, द, ध, न, स दन्त्य ध्वनियां हैं तत्पश्चात ओष्ठ आते हैं अतः उ, प, फ, ब, भ, म ओष्ठ्य ध्वनियां हैं।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि देवनागरी पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि है।

****